

संख्या-99/डी.एस.पी/1
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 03.03.2010

कार्यालय आदेश सं -11/03/10

विषय: कठोर शास्ति की परिभाषा ।

- संदर्भ: (i) आयोग का दिनांक 05.02.1999 का परिपत्र सं0 99/डीएसपी/1
(ii) आयोग का दिनांक 20.06.2003 का परिपत्र सं0 99/डीएसपी/1

आयोग ने कठोर लघु/बड़ी शास्ति शब्द पर उपर्युक्त संदर्भित अपने पिछले अनुदेशों का पुनरीक्षण किया है तथा इसको वापस लेने का निर्णय लिया है । तदनुसार, दिनांक 05.02.1999 तथा 20.06.2003 के परिपत्रों को तत्काल प्रभाव से वापस/रद्द किया जाता है ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी